डिकरी बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 121/2022

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी गण
1 नरपतसिंह पुत्र हमीर सिंह 2 अर्जुन सिंह पुत्र हमीर सिंह 3 मोहन कंवर पत्नी हमीर सिंह सभी जातियान राजपुत निवासीगण दईपडा खिचियान तहसील लूणी जिला जोधपुर		01 कल्याणसिंह पुत्र छोगसिंह के कायम मुकाम 1/1 श्रीमति फुलाकंवर 1/2 मोडसिंह पुत्र कल्याणसिंह 2 मोतीसिंह उर्फ मेरूसिंह पुत्र छोगसिंह 3 आमसिंह पुत्र बगतारसिंह 4 दिपसिंह पुत्र बगतावरसिंह 5 किशोरसिंह पुत्र बगतावरसिंह 6 पुंजराजसिंह पुत्र बगतावरसिंह 7 पप्पुसिंह पुत्र बगतावरसिंह 8 हवा कंवर पत्नी बगतावरसिंह पर्फोर्मा पार्टी सं. 9 से 13 9 भंवरसिंह पुत्र सुल्तानसिंह 10 गोपसिंह पुत्र सुल्तानसिंह 11 करणसिंह पुत्र हेमसिंह 12 भवरी कंवर पत्नी हेमसिंह 13 मोहनसिंह पुत्र कोजसिंह सभी जाति राजपुत निवासीगण दईपड़ा खिचियान तहसील लूणी जिला जोधपुर 14 युको बैंक शाखा धवा, जिला जोधपुर 15 तहसीलदार लूणी।

दावा बावत खातेदारी घोषणा, वंटवाडा प्रस्ताव व स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 85/2021 यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रू–ब–रू हमारे वहाजरी वादी मिनजानिव मुदद्ई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्वायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि

अतः आदेश है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बावत खातेदारी घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि बंटवाडा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 27.12.2024 के अनुसार विभाजन कर वादीगण एव प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे अलग से बटा नम्बर दर्ज कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करे।

नीज.......................मुवलिक.......................बावत.......................खर्चा इस मुकुदमें के मय सूद व वगैरह.......................फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक.......................
.......................को अदा करें।

वसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 11-6-2025 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

[?]द्दाई	रुपया	पै.	मुद्दायलाह	रुपया	पै.
[?]टाम्प अरजी दावा स्टाम्प [?]कालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजाचन	—		स्टांप अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजाचन	—	—

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— पुखराज कांसोटिया (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र :— 121/2022

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1 नरपतसिंह पुत्र हमीर सिंह 2 अर्जुन सिंह पुत्र हमीर सिंह 3 मोहन कंवर पत्नी हमीर सिंह सभी जातियान राजपुत निवासीगण दईपडा खिचियान तहसील लूणी जिला जोधपुर		01. कल्याणसिंह पुत्र छोगसिंह के कायम मुकाम 1/1 श्रीमति फुलाकंवर 1/2 मोडसिंह पुत्र कल्याणसिंह 2 मोतीसिंह उर्फ भेरूसिंह पुत्र छोगसिंह 3 आमसिंह पुत्र बगतारसिंह 4 दिपसिंह पुत्र बगतावरसिंह 5 किशोरसिंह पुत्र बगतावरसिंह 6 पुंजराजसिंह पुत्र बगतावरसिंह 7 पप्पुसिंह पुत्र बगतावरसिंह 8 हवा कंवर पत्नी बगतावरसिंह पर्फोर्मा पार्टी सं. 9 से 13 9 भंवरसिंह पुत्र सुल्तानसिंह 10 गोपसिंह पुत्र सुल्तानसिंह 11 करणसिंह पुत्र हेमसिंह 12 भवरी कंवर पत्नी हेमसिंह 13 मोहनसिंह पुत्र कोजसिंह सभी जाति राजपुत निवासीगण दईपड़ा खिचियान तहसील लूणी जिला जोधपुर 14 युको बैंक शाखा धवा, जिला जोधपुर 15 तहसीलदार लूणी।

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

01.वादीगण की और से अधिवक्ता ईश्वर सिंह उपस्थित

02.प्रतिवादीगण की और से हनुमान प्रजापति उपस्थित।

03.शेषप्रतिवादीगणसूचना के बावजूद अनुपस्थित।

दिनांक – 11.6.25

–: आदेश:–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व प्राथमिक डिकी दिनांक 23.01.2023 को किया गया एव तहसीलदार झंवर को बटवाडा प्रस्ताव हेतु कमिश्नर नियुक्त किया गया। तहसीलदार झंवर के माफिक प्राथमिक डिकी पक्षकारान् के मध्य नियमानुसार अपनी रिपोर्ट मय बटवाडा प्रस्ताव दिनांक 21.12.2023 को पेश किया।

सक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम दईपड़ा खिचियान तहसील लूणी के खसरा नम्बर 308 रकबा 55 बीघा 12 बिस्वा व खसरा नम्बर 323 रकबा 104 बीघा 15 बिस्वा कुल रकवा 160 बीघा 7 बिस्वा भूमि आई हुई है। उक्त भूमि पर वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के पिता व दादा छोगसिंह का वक्त जागीरी से 1/2 हिस्से की भूमि पर कब्जा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

काश्त था। वादीगण के दादा छोगसिंह के भाई सुल्तानसिंह का भी वक्त जागीरी से 1/2 हेस्से की भूमि पर कब्जा व काश्त था। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्देशनुसार राजीनामा में वादीगण को ग्राम दईपड़ा खिचियान तहसील लूणी के खसरा नम्बर खसरा नम्बर 323 रकबा 104 बीघा 15 बिस्वा में से वादीगण को 14 बीघा भूमि में वादीगण खातेदार घोषित करने हेतु प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.01.2023 के द्वारा तहसीलदार झंवर को निर्देशित किया गया। तहसीलदार झंवर द्वारा प्रेषित बंटवाडा प्रस्ताव दिनांक 21.12.2023 मय मौका फर्द दिनाक 10.10.2023 को पेश की गई जिसके आधार पर वादीगण एव प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्ताव पेश किया जो सलग्न पत्रावली है। प्रस्तावित बंटवाडा प्रस्ताव निम्ननुसार है —

क,स	खातेदार विवरण	खसरा नम्बर	रकबा बीघा मे	लगान	किस्म
A	प्रतिवादीगण कल्याणसिंह वगैरह	323	87.10 3.05		बारानी द्वितीय
		01	90.15		
B	1 नरपतसिंह पुत्र हमीर सिंह 2 अर्जुन सिंह पुत्र हमीर सिंह 3 मोहन कंवर पत्नी हमीर सिंह सभी जातियान राजपुत निवासीगण दईपडा खिचियान तहसील लूणी जिला जोधपुर	323	14.00		बारानी द्वितीय
		01	14.00		

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा उक्त बटवाडा प्रस्ताव पर आपत्ति दर्ज करने पर ऑर्डर शीट पर नोट अंकित किया गया। आपत्ति पर दोनो पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया जाने पर ग्राम दईपड़ा खिचियान के खसरा नम्बर 308 रकबा 55 बीघा 12 बिस्वा व खसरा नम्बर 323 रकबा 104 बीघा 15 बिस्वा कुल रकबा 160 बीघा 7 बिस्वा भूमि में वादीगण का नाम दर्ज नहीं है जबकि उक्त भूमि पुश्तैनी है तथा वादीगण के पिता हमीरसिंह की उक्त खसरे में वर्षो से पुरानी ढाणी व कब्जाकाश्त है साथ ही कई वर्षो से कृषि कार्यो हेतु उपयोग—उपभोग करते रहे है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में दायर अपील डिक्री/टी0ए0/6204/2021/जोधपुर फूला कंवर बनाम नरपत सिंह का निर्णय दिनांक 30.09.2022 एवं माननीय न्यायलय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर में दायर अपील का निर्णय दिनांक 06.12.2021 में प्रदत्त निर्देशनुसार एवं पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार ग्राम दईपड़ा खिचियान तहसील लूणी के खसरा नम्बर खसरा नम्बर 323 रकबा 104 बीघा 15 बिस्वा में से वादीगण को 14 बीघा भूमि में खातेदार घोषित किया गया।

पत्रावली का अध्ययन, मनन एवं अवलोकन किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण का बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिक्री

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत खातेदारी घोषणा, बंटवाडा प्रस्ताव व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झंवर को आदेश दिया जाता है कि बंटवाडा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 10.10.2023 के अनुसार विभाजन कर वादीगण एव प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकर्ड मे अलग से बटा नम्बर दर्ज कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करे तथा राजस्व नक्शे मे तरमीम इन्द्राज करे। बटवाडा प्रस्ताव एव मौका फर्द दिनाक 10.10.2023 डिकी का अभिन्न अंग समझा जावे डिकी पर्चा जारी हो तहसीलदार झंवर को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(पुखराज कांसोटिया) RAS

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी